भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1846
मंगलवार, 01 अगस्त, 2023/श्रावण 10, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

विश्व की सबसे बड़ी खाद्य/अनाज भंडारण योजना

†1846.डॉ. पोन गौतम सिगामणि :
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत :
डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर :
डॉ. सुजय विखे पाटिल :
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी :
डॉ. कृष्णपालसिंह यादव :

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी खाद्य/अनाज भंडारण योजना स्थापित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों के 10 चुनिंदा जिलों में इस प्रकार के भण्डारण की व्यवस्था की जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ग) क्या केंद्र सरकार ने हाल ही में सहकारी क्षेत्र में उपर्युक्त भंडारण योजना के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति के गठन और सशक्तिकरण को मंजूरी दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उपर्युक्त खाद्य भंडारण योजना की अनुमानित लागत और वित्त पोषण के स्रोतों का ब्यौरा क्या है;

(ड) क्या सरकार की खाद्यान्न भंडारण क्षमता का विस्तार करने के लिए गोदाम बनाने की योजना है और यदि हां, तो इसके आकार और परिमाण का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने राज्य स्तर पर मौजूदा कृषि नीतियों/कार्यक्रमों के साथ खाद्य भंडारण योजना का निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ सहयोग किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) देश में खाद्य की बर्बादी रोकने, मूल्यों में स्थिरता लेन और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के रूप में खाद्य भंडारण योजना प्रत्याशित परिणाम और संप्रदायगियां क्या हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (छ): जी, महोदय । केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 31.05.2023 को आयोजित अपनी बैठक में "सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना" को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने के लिए मंजूरी दी । योजना के अंतर्गत, 'संपूर्ण-सरकारी' दृष्टिकोण का लाभ उठाकर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के स्तर पर विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, जिसमें गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयाँ, उचित मूल्य की दुकान, आदि शामिल हैं । पैक्स स्तर पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण/ आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार की निम्नलिखित योजनाओं के अनुमोदित परिव्यय का उपयोग कर योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है:

1. <u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय</u>:

    i. कृषि अवसंरचना निधि (ए आई एफ),
    ii. कृषि विपणन अवसंरचना योजना (ए एम आई),
    iii. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम आई डी एच),
    iv. कृषि मशीनीकरण पर उप योजना (एस एम ए एम)

2. <u>खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय</u>:

    i. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का औपचारिकरण (पी एम एफ एम ई),
    ii. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पी एम के एस वाई)

3. <u>उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय</u>:

    i. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन,
    ii. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद

योजना के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सहकारिता मंत्रालय ने अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और सदस्य के रूप में संबंधित मंत्रालयों के मंत्री और सचिव हैं । उक्त समिति, योजना के पायलट प्रोजेक्ट को सुसाध्य करने के लिए आवश्यकतानुसार, अभिसरण के लिए चिन्हित योजनाओं के दिशानिर्देशों/ कार्यान्वयन पद्धतियों को, उनके अनुमोदित परिव्यय और निर्धारित लक्ष्यों के भीतर, संशोधित करने के लिए अधिकृत है। सहकारिता मंत्रालय ने योजना के समग्र कार्यान्वयन को संचालित करने और कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा, आदि के लिए सचिव (सहकारिता) की अध्यक्षता में राष्ट्र स्तरीय समन्वय समिति (एनएलसीसी) का भी गठन किया है।

पायलट परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी तथा राज्य स्तर पर मौजूदा नीतियों/ कार्यक्रमों के साथ इस योजना का निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करने हेतु, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने क्रमशः मुख्य सचिव और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर राज्य सहकारी विकास समिति (एससीडीसी) और प्रत्येक जिले में जिला सहकारी विकास समिति (डीसीडीसी) का गठन किया है। एससीडीसी/ डीसीडीसी में राजस्व, कृषि, बागवानी, आदि अन्य विभागों के सदस्य और नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंक, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), भण्डारण विकास विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए), केंद्रीय भण्डारण निगम (सीडब्ल्यूसी), राज्य भण्डारण निगम (एसडब्ल्यूसी) के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। ये समितियाँ, अन्य कार्यों के साथ साथ, भंडारण की कमी एवं मौजूदा भंडारण सुविधाएं, उनकी क्षमता का उपयोग, प्रस्तावित गोदामों की क्षमता, आवेदक पैक्स की व्यवहार्यता, प्रस्तावित परियोजना का स्थान, कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, बुनियादी अवसंरचनाओं की उपलब्धता, बाजार लिंकेज, आदि का परिक्षण करेंगी।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) नाबार्ड, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नेब्कोंस), केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी), भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), आदि के सहयोग से 24 विभिन्न राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के 24 पैक्स में पायलट प्रोजेक्ट लागू कर रहा है। त्रिपुरा, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों से कुल पांच पैक्स में निर्माण शुरू हो गया है। शेष पैक्स के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही हैं।

पैक्स स्तर पर 500 मेट्रिक टन से 2000 मेट्रिक टन तक की विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता के निर्माण द्वारा पर्याप्त भंडारण क्षमता की स्थापना से खाद्यान्न की बर्बादी में कमी आएगी, देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी, कम दरों पर उपज की मजबूरन बिक्री को रोका जा सकेगा और किसानों को अपनी उपज के उचित मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। चूंकि पैक्स खरीद केंद्र के साथ-साथ उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के रूप में भी काम करेगी, इसलिए खरीद केंद्रों तक खाद्यान्न के परिवहन और फिर गोदामों से एफपीएस तक स्टॉक को वापस पहुंचाने में होने वाली लागत में भी कमी आएगी।

प्रत्येक पैक्स के लिए परियोजना की अनुमानित लागत अलग-अलग होगी और भंडारण क्षमता, कस्टम हायरिंग सेंटर व प्रसंस्करण इकाइयों की आवश्यकता, आदि जैसे विभिन्न मापदंडों पर निर्भर करेगी। कृषि अवसंरचना निधि (ए आई एफ) के अंतर्गत ब्याज सब्वेंशन को पैक्स स्तर पर गोदामों और अन्य कृषि-अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु चिह्नित योजनाओं के तहत उपलब्ध सब्सिडी के साथ जोड़ा जाएगा।

******